

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

बैरक संख्या-11, पुराना सचिवालय, पटना-800015

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 0612-2231562, वेबसाइट : www.bsea.bih.nic.in

सं.सं.-नि.प्रा./नि० 1-77/2009 - 394

/पटना, दिनांक 21 मई, 2009

प्रेषक,

एन० एस० माधवन,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स०स०)
सभी नोडल पदाधिकारी
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी
सभी निर्वाचन पदाधिकारी।

विषय :- पैक्स निर्वाचन : निर्वाचन कर्तव्य हेतु निःशक्त व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति नहीं करने के संबंध में।

महाशय,

निःशक्त व्यक्ति "The Persons with Disabilities (Equal Opportunities Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995" के अधीन परिभाषित किए गए हैं, जिसका संगत अवतरण नीचे उद्धृत है।

2. उपर्युक्त संदर्भ में कहना है कि पैक्स के चुनाव में उक्त निःशक्त व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(एन० एस० माधवन)

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 394

/पटना, दिनांक 21 मई, 2009

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

"The Persons with Disabilities (Equal Opportunities Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995" से संगत उद्धरण

धारा 2 (i) "disability" means –

- (i) blindness;
- (ii) low vision;
- (iii) leprosy-cured;
- (iv) hearing impairment;
- (v) locomotor disability;
- (vi) mental retardation;
- (vii) mental illness;

धारा 2 (t) "person with disability" means a person suffering from not less than forty percent of any disability as certified by a medical authority.